जीएसटी रिटर्न पर छोटे कारोबारियों को बड़ी छूट

आम माफी योजना के तहत जारी किया नोटिफिकेशन

नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी परिषद की आम माफी योजना के तहत छोटे कारोबारियों के लिए विलंब शुल्क में छूट को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके तहत सालाना 5 करोड़ तक टर्नओवर वाले कारोबारियों को मासिक और तिमाही रिटर्न भरने में बड़ी छूट दी गई है।

सीबीआईसी के मुताबिक, 2021 में मार्च, अप्रैल और मई महीने के मासिक रिटर्न पर विलंब शुल्क से निश्चित अवधि तक छूट दी जाएगी। इसके तहत मार्च के लिए 60 दिन, अप्रैल के लिए 45 दिन और मई के लिए 30 दिन की देरी से रिटर्न दाखिल करने पर कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। बड़े कारोबारियों के लिए यह अवधि रिटर्न की अंतिम तिथि से 15 दिन तक सीमित रहेगी और इस दौरान कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो कारोबारी जनवरी-मार्च तिमाही के लिए अनुमानित तिमाही कर भुगतान योजना का विकल्प चुनते हैं, उन्हें भी विलंब शुल्क पर 60 दिन की मोहलत दी जाएगी।

जीएसटी परिषद ने 2017 में नया कर नियम लागू होने के बाद किसी भी महीने में रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारियों के लिए आम माफी योजना शुरू की है, जिसमें मामूली विलंब शुल्क चुकाकर रिटर्न भरने की सुविधा दी जा रही है।

05 करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी शामिल

ब्याज में भी मिलेगी राहत

सीबीआईसी ने कहा, 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को मार्च के लिए 9 फीसदी दर से 45 दिन का ब्याज, अप्रैल के लिए 9 फीसदी से 30 दिन का ब्याज और मई के लिए 9 फीसदी दर से 15 दिन का ब्याज चुकाना होगा। मार्च तिमाही रिटर्न के लिए भी 15 दिन ब्याज से छूट रहेगी, जबकि शेष 45 दिन के लिए 9 फीसदी ब्याज देना होगा।